

28.05.2024

पत्रावली पेश हुई।

वादी एवं अधिकांश वादी क्षरुपास्थित। लक्ष्य लक्ष्य
 कर तीन बार झाकाज लगाया गई था वजूद
 इसके कोई आपास्थित नहीं। इससे उत्तीत गेला
 हैं कि वादी एवं अधिकांश वादी अपने दावे
 को लेकर जम्मीर नहीं हैं। अतः दावा
 अडम रानेरी अडम पैली में इसी स्तर
 पर खारिज किया जात हैं।

पत्रावली केवल शुजा ठेका
 नकर से कम में जाकर दाखिल रखा।



(YMN)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्टट्रेक) सांचौर

हुकम